

आलय तहसीलदार / नायब तहसीलदार बाड़ी

निर्णय दिनांक 29.1.2010

नं. 90/2010

उनवान:- लाल राम रोक्य

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 90/..... रकबा 0-05 किश्मत का.हा.

बारे ग्राम पर पुत्र मोदी

जाति निवासी तहसील का.हा.

ने सम्बर रबी/खरीफ में फसल कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की

धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी पुत्र मोदी

जाति निवासी को आ. ख. नं. 90/

..... रकबा 0-05 वारे ग्राम से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि (अक्षरे

रूपेय) आरोपित की जाती है। पैन्ल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी

हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे ITRA को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 29.1.2010 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

नाम राशि का बका
दिनांक 16/1/18
13

तहसीलदार
तहसील बाड़ा (पालपुर) राज.,